रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 240] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 3, 1987/अग्रहायण 12, 1909
No. 240] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 3, 1987/AGRAHAYANA 12, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(आयात व्यापार नियन्त्रण)

सार्वजनिक सूचना 232-आई टी सी (पी एन)/85-88

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 1987

विषय:--अप्रैल, 1985—मार्च, 1988 के लिए आयात-निर्यात नीति।

फा.सं. आईपी.सी/4/5(45)/85-88.--वाणिज्य मन्त्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 1-आई टी सी (पी एन)/85-88, दिनांक 12 अप्रैल, 1985 के अन्तर्गत प्रकाशित अप्रैल, 1985-मार्च 1988 के लिए यथा-संशोधित आयात-निर्यात नीति की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. नीति में निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्ट उपयुक्त स्थानों पर किए जाएंगे:—

क्रम सं.	आयात-निर्यात नीति 1985-88 (खण्ड-1) की पृष्ठ संख्या	सन्दर्भ	संशोधन
1	2	3	4
1.	153 (156)	परिशिष्ट-5 भाग-क	वर्तमान प्रविष्टि संख्या 24-क के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि को जोड़ा जाएगा:— "24-ख कूड/मिनरल सोडियम बोरेट"
2.	211 (213)	परिशिष्ट-6 सूची-8, भाग-3 प्रविष्टि सं. 48 कूड/मिनरल सोडियम बोरेट	इस प्रविष्टि को हटा दिया जाएगा।

3. ऊपर कालम 2 में उल्लिखित कोष्ठक में दिए गए आंकड़े 31-10-1986 तक यथा-संशोधित आयात-निर्यात नीति 1985-88 की परिशोधित प्रति के हैं।

4. इस सार्वजनिक सूचना की शर्तों के अनुसार खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत कूड/मिनरल सोडियम बोरेट के संबंध में पात्र आयातकों द्वारा खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन आयात इस सार्वजनिक सूचना की तिथि से पहले खोले गए और स्थापित किए गए अपरिवर्तनीय साख पत्र की सीमा, जिसके लिए पोतलदान इस सार्वजनिक सूचना की तारीख से 90 दिनों के भीतर किया जाता है, को छोड़कर आयात अनुमेय नहीं किया जाएगा।

5. आयात-निर्यात नीति में उपर्युक्त संशोधन लोकहित में किए गए हैं।

ह/-

राजीव लोचन मिश्र, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात
मंजुला सुब्बाहामणियम, संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

(IMPORT TRADE CONTROL)

PUBLIC NOTICE NO. 232—ITC(PN)/85-88

NEW DELHI : THE 3rd DECEMBER, 1987

Subject : Import and Export Policy for April 1985—March 1988.

File No. IPC/4/5/(45)/85-88 :—Attention is invited to the Import & Export Policy for April 1985—March 1988, published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 1-ITC(PN)/85-88 dated the 12th April, 1985 as amended.

2. The following amendments shall be made in the Policy at appropriate places indicated below :—

Sl. No.	Page No. of Import and Export Policy 1985-88 (Volume I)	Reference	AM
1	2	3	4
1.	153 (156)	Appendix 5, Part A	After the existing Entry No. 24A, the following entry shall be added :— "24B. Crude/Mineral Sodium Borate."
2.	211 (213)	Appendix 6, List 8, Part III Entry No.48 "Crude/Mineral Sodium Borate"	This entry shall be deleted.

3. The figures in brackets mentioned in Column 2 above refer to the revised edition of the Import & Export Policy, 1985-88 (Volume I) as amended upto 31-10-1986.

4. Import of Crude/Mineral Sodium Borate under OGL by eligible importers shall not be permitted except to the extent of irrevocable letters of credit already opened and established before the date of this Public Notice, for which shipments are made within a period of 90 (Ninety) days from the date of this Public Notice.

5. The above amendments in the Import and Export Policy have been made in the public interest.

Sd/-

(R.L. MISRA)
Chief Controller of Imports & Exports
MANJULA SUBRAMANIAM, Joint Chief Controller of Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987